

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्रीमती अल्पा चौधरी, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं.01/2024

प्रार्थीगण

राजस्थान राज्य सरकार जरिए पंचायत प्रसार अधिकारी (सहायक विकास अधिकारी) पंचायत समिति आबूरोड जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. ग्राम पंचायत मोरथला जरिए सरपंच ग्राम पंचायत मोरथला तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
2. श्रीमती दरिया कंवर पत्नि श्री जगतसिंह राठौड (फौत) वारिस श्री तेजसिंह पुत्र श्री जगतसिंह राजपूत निवासी तरतोली तहसील आबूरोड जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थिति :-

1. श्री नटवरलाल जीनगर, सहायक विकास अधिकारी जिला परिषद सिरोही प्रार्थी की ओर से।
2. श्री अश्विन मरडिया, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या दो की ओर से।



निर्णय

दिनांक 15.01.2025

सूक्ष्म में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना-पत्र अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी पट्टा संख्या 27 दिनांक 30.06.2017 क्षेत्रफल 879.75 वर्गफुट को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या एक की ओर से बावजूद नोटिस तागिली के किसी भी प्रकार की कोई उपस्थिति नहीं दी गई। अप्रार्थी संख्या दो की ओर से अधिवक्ता श्री अश्विन मरडिया द्वारा जरिए वकालतनामा पेश कर उपस्थिति दी एवं जवाब प्रस्तुत किया, जो शामिल मिसल किया गया। प्रकरण में दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से श्री नटवरलाल जीनगर सहायक विकास अधिकारी जिला परिषद, सिरोही ने दौरान बहस मेरा ध्यान प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत मोरथला द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को नियमों के विपरित पट्टा जारी किया गया है। यह है कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के पक्ष में जारी वादग्रस्त पट्टा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157 (1) के अन्तर्गत जारी किया गया है, जबकि नक्शानुसार प्रार्थी के द्वारा आवेदित भूमि का नक्शा दो भागों में बना है जिसमें भाग (1) 28X17.3 फीट तथा भाग (2) 23X17.3 फीट का है जिसमें भाग (2) को ढंका हुआ आंगन बरामदा बताया गया है, जबकि उक्त जगह सोहनसिंह आदि की 50-60 वर्ष पुरानी सामलाती पोर (बैठक भवन)


जिला कलक्टर, सिरोही

स्थित है। यह है कि उक्त वादग्रस्त पट्टे की पत्रावली में संलग्न आपत्ति नोटिस पत्र क्रमांक 28/09.05.2017 द्वारा जारी किया गया, जिसके पिछले भाग पर नोटिस चरपा करने का जिक्र है, जहां दो व्यक्तियों के हस्ताक्षर किए हुए हैं लेकिन हस्ताक्षर करने वाले कौन हैं, कहां के हैं, उनका कोई पूरा नाम नहीं लिखा गया। साथ ही नोटिस कहां पर चरपा किया गया और चरपा किसके द्वारा किया गया इसका भी कोई उल्लेख नहीं है। इस प्रकार राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 148 की पूर्णतया पालना नहीं की गई। यह कि उक्त वादग्रस्त पट्टे की भूमि का भूमि किस्म प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत मोरथला के द्वारा हस्ताक्षरित किया है, जो नियम विरुद्ध जारी किया गया है। ऐसे किसी भूमि के किस्म का प्रमाण पत्र राजस्व विभाग के पटवारी द्वारा जारी किया जाता है इस प्रकार पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना कर किस्म प्रमाण पत्र जारी किया गया। यह है कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के पक्ष में जारी पट्टे की पत्रावली संख्या 27/2017 दिनांक 24.04.2017 को दायर की गई तथा दिनांक 17.05.2017 को फैसल की जाकर पट्टा बुक सं. 27/158 जारी किया गया। पत्रावली में संलग्न आज्ञाओं की सूची अनुसार कुल पृष्ठ 8 दिनांक 24.04.2017 से 17.05.2017 तक सभी प्रपत्रों की फोटो प्रति लगी हुई है, जिसमें दरिया कंवर के नाम के साथ ही प्रस्ताव में ली गई सभी पत्रावलियों का इन्दाज कर आज्ञाओं की सूची में लेखन किया गया। सामान्यतया नियमानुसार प्रत्येक पत्रावली में उसी पत्रावली से सम्बन्धित आदेश का ब्यौरा होता है इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत पत्रावली का संधारण नहीं कर नियमों की अवहेलना की है। यह कि स्थल निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 25.04.2017 पर तीन वार्ड पंच रेखाराम, प्रकाश, विजयसिंह के हस्ताक्षर किये हुये हैं जबकि ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 24.04.2017 के प्रस्ताव सं. 3 के तहत चार वार्ड पंच श्री विजयसिंह, मुकेश कुमार, रेखाराम एवं प्रकाश कुमार की कमेटी गठित की गई जिसके अनुसार इस पर मुकेश कुमार के हस्ताक्षर नहीं पाए गये। साथ ही उपरोक्त प्रस्ताव में कांट-छांट कर पारित प्रस्ताव एवं रेकर्ड में कांट-छांट कर पत्रावली में अग्रिम कार्यवाही की गई। इस प्रकार प्रस्ताव की मूल भावना पत्राधार कार्यवाही नहीं की गई। यह कि उक्त वादग्रस्त पट्टे की पत्रावली में ग्राम पंचायत द्वारा भाग (2) में ढंका हुआ आंगन/बरामदा बताया गया है, जबकि मौके पर बरामदा के स्थान पर लगभग 50-60 वर्ष पुरानी/पोर बनी हुई है, जिसमें देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं, जिनकी श्री प्रतापसिंह, बाबूसिंह, नवलसिंह, इन्दरसिंह, मोतीसिंह पुत्रगण सोहनसिंह एवं अन्य पारिवारिक कुटुम्बजन द्वारा नियमित पूजा की जा रही है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को नाजायज फायदा पहुंचाने की नियत से करीब 50-60 वर्ष पुरानी सामलाती पोर (बैठक भवन) को ढंका हुआ बरामदा बताकर अप्रार्थी संख्या दो के पक्ष में नियम विरुद्ध पट्टा जारी किया गया है। यह कि उक्त पट्टे की पत्रावली में संलग्न दो गवाहों के बयानों में एक बयानकर्ता श्री बहादुरसिंह / हीरसिंह जाति राजपुत निवासी तरतोली जो कि पट्टाधारक के पडौस में रहते हैं इनके द्वारा बताया गया कि पट्टे में शामिल भाग (2) खुला बरामदा के स्थान पर करीब 50-60 वर्ष पुरानी पोर बनी हुई है जो स्व. सोहनसिंह द्वारा बनाई गई थी जिसमें माताजी का मन्दिर बना हुआ है जहां इनके परिवारजन पूजा अर्चना करते हैं। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को नाजायज फायदा पहुंचाने की नियत से नियमों से परे जा कर आवेदक से सांठ-गांठ कर गलत तथ्यों के आधार पर एवं गवाहों को अंधेरे में रखकर पट्टे से सम्बन्धित भूमि/मकान की वास्तविक स्थिति से परे जाकर सामूहिक पोर (बैठक भवन) को ढंका हुआ आंगन बरामदा के रूप में बताकर नियम विरुद्ध पट्टा जारी किया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर ग्राम पंचायत तरतोली द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी विवादित पट्टा संख्या 27 दिनांक 30.06.2017 क्षेत्रफल 879.75 वर्गफुट को निरस्त किया जाना फरमावे।



28/11/17
जिला कलेक्टर, तिरुही

अप्रार्थी संख्या दो के लायक अधिवक्ता श्री अश्विन मरडिया द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान निगरानी मे प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि पंचायत द्वारा प्रस्ताव लेकर अप्रार्थी संख्या एक दो नियम 157(1) के तहत पुराने मकान का पट्टा जारी किया गया है जो नियमानुसार सही है। यह कि उक्त वादग्रस्त पट्टे की भूमि पुश्तैनी भूमि थी तथा अप्रार्थी संख्या दो के परदादा श्री रूपसिंह जी संतान श्री सोहनसिंह व मूलसिंह के मध्य हुए विभाजन में प्रश्नगत पट्टे वाली भूमि श्री गूलसिंह के हिस्से में आई थी। विभाजन के पश्चात कोई भूमि शामलाती नहीं रही। प्रार्थी द्वारा जिस भूमि को शामलाती पोर (बैठक भवन) दर्शाया जा रहा है, ऐसा कोई पोर (बैठक भवन) विवादित पट्टे वाले स्थल पर नहीं रही है। प्रार्थी सहायक विकास अधिकारी को संभवतः पोर का मतलब ही समझ नहीं आया है अथवा शिकायतकर्ताओं को षडयंत्र पूर्वक अनुचित लाभ पहुंचाने के बदर्इरादे से अनजान बन रहा है। पोर शब्द स्थानीय भाषा मारवाडी में पोल शब्द का अपभ्रंश है। पोल आवासीय सम्पत्ति का प्रवेश मार्ग होता है, जिस पर काफी बड़ा दरवाजा बना हुआ होता है। उक्त पोल आवागमन का मार्ग मात्र होती है ना कि बैठक भवन अथवा कमरा। उक्त पोल दरवाजे की भूमि करीब 6 फीट चौड़ी थी और आज भी यथावत मौजूद है। उक्त दरवाजे के बाद खुली भूमि व उसके बाद मकानात बने हुए थे। श्री सोहनसिंह व श्री मूलसिंह के मध्य हुए उक्त विभाजन में उक्त आवागमन वाला भाग पोल को छोड़ कर शेष भूमि भी विभाजित कर दी गई थी और उनके द्वारा तत्समय ही प्राप्त हिस्से अनुसार पृथक-पृथक दीवार बना दी थी। दरवाजे के बाद अपने हिस्से की खुली भूमि के 16 गुणा 11 फीट भाग पर श्री मूलसिंह के गोदीपुत्र श्री जगतसिंह द्वारा करीब 38 वर्ष पूर्व कमरा बनवाया गया था, उसमें एक अलमारी में नागणेची माता की तस्वीर रखी गई थी। उक्त स्थान पर ना तो कभी कुलदेवी का स्थान रहा है और ना कभी पद में दर्शाए व्यक्तियों या कुटुंबियों द्वारा पूजा अर्चना ही की गई है। प्रश्नगत भूमि के पास वाले श्री सोहनसिंह जी के हिस्से में बने मकान ध्वस्त हो चुके हैं और वर्तमान में केवल श्री प्रतापसिंह का नए मकान में निवास है और श्री प्रतापसिंह द्वारा रास्ते की भूमि के लगती भूमि पर नया मकान बनाया गया है। सम्पत्ति यदि विभाजित नहीं होती तो अपनी मर्जी आए स्थान पर मकान बनाया जाना संभव ही नहीं था। श्री सोहनसिंह के अन्य पुत्र सभी अपने-अपने अलग मकानों में कई वर्षों से उक्त सम्पत्ति से काफी दूर बसी कॉलोनी में निवास कर रहे हैं। उक्त श्री बाबूसिंह, नवलसिंह, इन्द्रसिंह व मोतीसिंह का अप्रार्थी व श्री सोहनसिंह के मकान पर आना-जाना भी नहीं है। यह गौर योग्य है कि श्री सोहनसिंह के किसी भी वारिस ने उक्त पट्टा जारी करने के सम्बन्ध में पंचायत द्वारा जारी आपत्ति नोटिस के क्रम में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की और ना ही उक्त पट्टे को चुनौती देते कोई अपील अथवा निगरानी प्रस्तुत की है। यह कि उक्त सम्पत्ति 60 वर्ष से अधिक पुरानी है और उक्त सम्पत्ति का पट्टा पुराने कब्जे के आधार पर नियम 157 के तहत प्राप्त करने का आवेदक को अधिकार था। अगर बैठक शामलाती थी तो उसके लिए कथित सहस्वामियों द्वारा अपने दीवानी अधिकार तय करवाने हेतु सक्षम दीवानी न्यायालय में कार्यवाही की जानी चाहिए थी, जो श्री इन्दरसिंह द्वारा सिविल जज आबूरोड के न्यायालय में कर दी गई है और वाद संख्या 52/2022 पर संस्थित होकर लम्बित है। यह कि अप्रार्थी संख्या दो के पुराने भवन का विनियमितिकरण का विक्रय विलेख कंप में जारी किया गया है और विधि में पुराने कब्जेशुदा भवन के विनियमितिकरण हेतु नियम 148 की पालना किए जाने का प्रावधान नहीं है तथा नियम व प्रावधान विधिक प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए बनाए गए हैं ना कि उनकी आड में अडचनें व उलझनें पैदा करने के लिए। नियमों की पालना करने का दायित्व ग्राम पंचायत का था और अप्रार्थी नियम 157 के तहत कब्जे का विनियमितिकरण करवाने का पात्र और अधिकारी था। यह कि उक्त भूमि स्वीकृत रूप से आबादी भूमि है तथा आवासीय उपयोग में गत करीब 100 वर्षों से अधिक समय से चली आ रही है। उक्त भूमि आबादी भूमि होने से किसी प्रकार के किरम प्रमाण पत्र की विधि में आवश्यकता ही नहीं है। यह कि अप्रार्थी संख्या एक के किसी भी कार्य के लिए अप्रार्थी संख्या दो को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है और न ही उसे दंडित किया जा सकता है। यह कि श्री बहादुरसिंह का शपथ पत्र दिनांक 04.09.2022 का है और शपथ पत्र प्रार्थी के पास किस प्रकार आया, यह भी



जिला कलेक्टर, सिरौही

विचारणीय है। शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत किए जाने के पूर्व ही श्री बहादुरसिंह को गलत पट्टा बनाए जाने का तथा प्रार्थी द्वारा जांच हेतु आने का दिव्य स्वप्न आ चुका था। पट्टा मकान की स्थिति से इतर नहीं बनाया गया है। उक्त से असंगत हुए बिना निवेदन है कि तर्क के लिए पट्टा कथित संयुक्त भूमि का बना भी दिया गया है तो यह विवाद निजी भूमि के सम्बन्ध है और दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है। प्रार्थी को उक्त निगरानी पेश करने का अधिकार ही नहीं है। यह कि राजस्थान पंचायतीराज नियम की धारा 166 के तहत आबादी भूमि विक्रय करने के पंचायत के मूल आदेश की अपील अधिनियम की धारा 61 के तहत किए जाने का प्रावधान किया गया है, जिन मामलों में अपीलें प्रावधानित हैं, उन मामलों में निगरानी के जरिए हस्तक्षेप करना अपीलीय न्यायालयों द्वारा अवैध होना विनिश्चित किया है। विधि में राजस्थान सरकार को पृथक से कोई छूट प्रदान नहीं की गई है और नियम कायदे प्रार्थी पर भी लागू होते हैं। उक्त परिस्थितियों में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी क्षेत्राधिकार में नहीं होने से अपरिपोषणीय है और खारिज काबिल है। प्रार्थी द्वारा उक्त निगरानी अप्रार्थी को हैरान परेशान करने की नियत यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो खारिज किए जाने योग्य है। इस सम्बन्ध में उन्होंने विधिक दृष्टांत 1997 DNJ (Raj.) 751, 1997(3) RLW 1567 Para 45.46 और 1997 SAR 783 (SC) पेश कर निवेदन किया कि उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाना फरमावे।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र एवं अप्रार्थी संख्या दो की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं पत्रावली का भलिभाँति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष निम्न प्रकार है :-

अप्रार्थी श्रीमती दरिया कंवर पत्नि श्री जगतसिंह निवासी तरतोली तहसील आबूरोड जिला सिरौही को उक्त पट्टा ग्राम पंचायत, मोरथला द्वारा राजस्थान पंचायतीराज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत पट्टा संख्या 27 दिनांक 30.06.2017 क्षेत्रफल 879.75 वर्गफुट जारी किया गया है। राजस्थान पंचायतीराज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(1) के अनुसार-

157.-पुराने गृहों का विनियमितकरण- जहाँ व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का पट्टा रखते हैं और पट्टा जारी कराने के इच्छुक वहाँ उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त के पश्चात् प्ररूप 23 क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा-

1. 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए या 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यक्षीन रहते हुए 25 प्रतिशत सन्निर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए सन्निर्मित क्षेत्रफल:

- क. इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व, पचास वर्षों से अधिक पूर्व में = 100 रुपये सन्निर्मित पुराने गृहों के लिए।
 ख. (31 दिसम्बर 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षों के दौरान) = 200 रुपये सन्निर्मित पुराने गृहों के लिए।

प्रार्थी द्वारा मुख्यतः तर्क किया गया है कि उक्त वादग्रस्त पट्टे की भूमि में भाग दो में ढका हुआ आंगन बरामदा बताया गया है, जबकि उक्त जगह पर श्री सोहनसिंह आदि की 50-60 वर्ष पुरानी सामलाती पोर (बैठक भवन) स्थित है, और उक्त वादग्रस्त पट्टे की भूमि पर पुरानी पोर (हॉल) बने हुए होने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत मोरथला के उपसारपंच श्री चन्द्रप्रकाश, वार्ड पंच श्री कन्हैयालाल मारु एवं अन्य ग्रामवासियों के द्वारा अपने हस्ताक्षर कर सहमति दी गई है। इसके विपरीत अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ता का तर्क है कि उक्त वादग्रस्त पट्टे की भूमि उनकी पुरानी कब्जेशुदा भूमि है, जिस पर उनका मकान व बरामदा बना हुआ है। उक्त भूमि पर कभी कुलदेवी का स्थान नहीं रहा है और न ही कभी उनकी कुटुम्बियों के द्वारा कोई पूजा अर्चना की गई। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अप्रार्थी

जिला कलेक्टर, सिरौही

संख्या दो के अधिवक्ता द्वारा यह कथन तो किया गया है कि उक्त वादग्रस्त पट्टे की भूमि अप्रार्थी संख्या दो की पुरानी कब्जेशुदा भूमि है, जिस पर उनका मकान व बरामदा बना हुआ है और उक्त भूमि पर कभी कुलदेवी का स्थान नहीं रहा है, परन्तु उनके द्वारा अपने इस कथन के समर्थन में किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही ऐसा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। ग्राम पंचायत मोरथला के उपसरपंच श्री चन्द्रप्रकाश, वार्ड पंच श्री कन्हैयालाल मारु एवं अन्य ग्रामवासी के द्वारा हस्ताक्षरशुदा दस्तावेज के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि उक्त वादग्रस्त पट्टे की भूमि में पोर (हॉल) की भूमि को सम्मिलित कर उक्त वादग्रस्त पट्टा जारी किया गया है। इसके अलावा विकास अधिकारी पंचायत समिति आबूरोड एवं सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति आबूरोड द्वारा दिनांक 13.08.2024 को तैयार की गई मौका फर्द रिपोर्ट में भी यह स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत मोरथला द्वारा उक्त वादग्रस्त पट्टा सामलाती पोल/बैठक भवन की भूमि को शामिल कर जारी किया गया है। चूंकि राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत पुराने बने हुए मकान का पट्टा जारी किया जाता है, परन्तु ग्राम पंचायत मोरथला द्वारा अप्रार्थी श्रीमती दरिया कंवर पत्नि श्री जगतसिंह निवासी तरतोली तहसील आबूरोड जिला सिरोही के हक में उक्त वादग्रस्त पट्टा पोर (हॉल) की भूमि को सम्मिलित कर जारी किया गया, जो उचित प्रतीत नहीं होता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत मोरथला द्वारा दिनांक 17.05.2017 को ग्राम पंचायत की साधारण बैठक सरपंच ग्राम पंचायत मोरथला की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें उक्त वादग्रस्त पट्टे से सम्बन्धित प्रस्ताव पारित किया गया है। ग्राम पंचायत मोरथला की उक्त बैठक कार्यवाही रजिस्टर की प्रमाणित प्रति का अवलोकन करने पर यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत मोरथला की उक्त बैठक में प्रस्ताव पारित करने से पूर्व ही उपस्थित पंचायत सदस्यों से हस्ताक्षर करवा लिए गए थे, जबकि ग्राम पंचायत की बैठकों में कोरम की गणना के लिए बैठक से पूर्व हस्ताक्षर कराने का कोई प्रावधान नहीं है एवं राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 48(6) में भी यह स्पष्ट प्रावधान है कि पंचायतीराज संस्थाओं की बैठक कार्यवाही कार्यवृत्त पुस्तक में विचार-विमर्श के ठीक पश्चात अभिलिखित की जाएगी और बैठक की अध्यक्षता करने वाले प्राधिकारी द्वारा पढकर सुना दिए जाने के पश्चात उसके द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी। ग्राम पंचायत मोरथला द्वारा दिनांक 17.05.2017 को सम्पन्न हुई बैठक रजिस्टर के अवलोकन करने पर यह प्रतीत होता है कि उक्त वादग्रस्त पट्टे से सम्बन्धित प्रस्ताव को पारित करने के पश्चात बैठक में उपस्थित केवल अध्यक्ष सरपंच ग्राम पंचायत मोरथला एवं सचिव ग्राम पंचायत मोरथला के हस्ताक्षर हैं और किसी भी पंचायत सदस्य के हस्ताक्षर नहीं हैं, जबकि राजस्थान सरकार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के पत्र क्रमांक:-एफ.40(49)15वीं/सत्र-4/ध्याना.प्रस्ताव/परावि/2020/87 दिनांक 02.02.2021 के द्वारा भी यह स्पष्ट किया गया है कि पंचायतीराज संस्थाओं की समस्त बैठकों के कार्यवाही विवरण रजिस्टर में कार्यवाही विवरण अंकन के पश्चात् रेखा खींची जाए एवं जहां विवरण समाप्त हो, वहीं सम्बन्धित समस्त जनप्रतिनिधिगण एवं सचिव अर्थात् ग्राम संवक, विकास अधिकारी तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी के हस्ताक्षर करवाए जाए। अतः ग्राम पंचायत मोरथला द्वारा उक्त वादग्रस्त पट्टे से सम्बन्धित लिया गया प्रस्ताव विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा यह भी कथन किया गया है कि उक्त वादग्रस्त भूखण्ड में दर्शाई गई बैठक सामलाती थी तो उसके लिए कथित सहस्वामियों द्वारा अपने दीवानी अधिकार तय करवाने हेतु सक्षम दीवानी न्यायालय में कार्यवाही की जानी चाहिए थी, जो श्री इन्दरसिंह द्वारा सिविल जज आबूरोड के न्यायालय में कर दी गई है और वाद संख्या 52/2022 पर संश्लेषित होकर लम्बित है, परन्तु अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने इस कथन के समर्थन में भी किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य यथा न्यायालय में लम्बित वाद की प्रति इत्यादि प्रस्तुत नहीं की गई है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत मोरथला द्वारा अप्रार्थी श्रीमती दरिया कंवर पत्नि श्री जगतसिंह निवासी तरतोली तहसील

जिला कलेक्टर, सिरोही

आबूरोड जिला सिरोही के हक में जारी पट्टा संख्या 27 दिनांक 30.06.2017 क्षेत्रफल 879.75 वर्गफुट को निरस्त किया जाता है। साथ ही सरपंच ग्राम पंचायत मोरथला को निर्देशित किया जाता है कि उक्त भूखण्ड की मौके पर कब्जे व मालिकी स्वामित्व की जांच कर एवं राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार जांच कर नए सिरे से पट्टा जारी करें।

निर्णय आज दिनांक 15.01.2025 को खुले न्यायालय में डिक्टेट कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



क. चौधरी
(अल्पा चौधरी)
जिला कलेक्टर, सिरोही